



2026:AHC:52778

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4945/2026

अनीस एवं 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

शिव प्रकाश

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

अरुण कुमार पांडे, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश ने सूचित किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका पर बल नहीं दे रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस याचिका को बल न देने के आधार पर खारिज कर दिया जाए।
2. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, प्रस्तुत याचिका को बल न देने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

16 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"